

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

(पीठासीन अधिकारी, नन्मूल पहाडिया, आई.ए.एस.)

गृह फाइनेन्स लिमिटेड, अहमदाबाद शाखा जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी - प्रार्थी

बनाम्

1. श्री पूर्णमल अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल, - अप्रार्थी / ऋणी

2. श्री रामस्वरूप अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल

3. श्रीमती रीना अग्रवाल पत्नि श्री पूर्णमल अग्रवाल


सभी निवासीयान मधुवन यात्री निवास के पास, मेहन्दीपुर बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा

- जमानतीगण

मु.नं. 09/19 कि.मु.-धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002

तारीख रजु- 13.05.19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.05.2019	<p>प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी/ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से 32,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी ने श्रीमती रीना अग्रवाल पत्नि श्री पूर्णमल अग्रवाल की अचल सम्पत्ति स्थित गांव गहरोली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली के खसरा नं. 410/28 क्षेत्रफल 300 वर्गगज (आवासीय सम्पत्ति) जिसके पूर्व में प्लाट हिसार वालों का, पश्चिम में रोड 20 फुट, उत्तर में श्री दिनेश शर्मा का प्लॉट एवं दक्षिण में श्री संतोष गोस्वामी का प्लॉट स्थित है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।</p> <p>अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 02.11.2017 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के दिनांक 18.06.2018 तक 33,08,653.66/- (राशि तैंतीस लाख आठ हजार छह सौ तिरेपन रुपये छसठ पैसे मात्र) रुपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 18.06.2018 को अप्रार्थी/ऋणी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु अप्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं करवाई गई है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी वित्तीय संस्था के द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 18.06.2018 को अप्रार्थी/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 के बाद भी अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के जमा नहीं की गई है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के द्वारा वसूली</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवंबर 2003 से सरफेशी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी ने श्रीमती रीना अग्रवाल पत्नि श्री पूर्णमल अग्रवाल की अचल सम्पत्ति स्थित गांव गहरोली, तहसील टोड़ामी, जिला करौली के खसरा नं. 410/28 क्षेत्रफल 300 वर्गगज (आवासीय सम्पत्ति) जिसके पूर्व में प्लॉट हिस्सार वालों का, पश्चिम में रोड 20 फुट, उत्तर में श्री दिनेश शर्मा का प्लॉट एवं दक्षिण में श्री संतोष गोस्वामी का प्लॉट स्थित है, को अप्रार्थी ने प्रार्थी वित्तीय संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेते हुए प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 13-05-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">       13-05-2019      (नन्नूल पहाडिया)      जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट      करौली   </p>	